भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1462
(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 नवंबर, 2016 को दिया गया)

<u>एक निजी कंपनी द्वारा परिपक्व हुए सावधि जमा को रोका जाना</u>

1462. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी विधि बोर्ड ने दिसंबर, 2014 में एक निजी स्थावर संपदा कंपनी को यह निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था कि उक्त कंपनी नि:शक्त व्यक्तियों को उनके सावधि जमा जो बहुत पहले परिपक्व हो गए हैं, की राशि लौटाए;
(ख) यदि हां, तो कंपनी विधि बोर्ड के आदेश के बाद प्रभावित होने वाले नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कंपनी विधि बोर्ड को उक्त बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन कर नि:शक्त व्यक्तियों की सावधि जमा राशि रोक कर रखे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(घ) यदि हां, तो कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार और नि:शक्त व्यक्तियों को सावधि जमा की राशि तथा उस पर ब्याज की राशि तत्काल लौटाया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): तत्कालीन कंपनी विधि बोर्ड ने जमाओं के पुन: भुगतान के संबंध में मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में दिनांक 30.12.2014 को एक आदेश पारित किया, जिसमें दिव्यांगों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है।

(ग) और (घ): ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****